भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 183

(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 मार्च, 2016 को दिया गया)

<u>कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी नीति की प्रभावकारिता के बारे में अध्ययन</u>

***183. डा. कनवर दीप सिंह :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी नीति के कार्यान्वयन एवं उसकी प्रभावकारिता के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना को और अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी बनाने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी नीति की प्रभावकारिता के बारे में अध्ययन के संबंध में दिनांक 15 मार्च, 2016 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 183 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जी, नहीं। किंतु, कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीतियों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए उपाय सुझाने हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सीएसआर के बेहतर कार्यान्वयन और प्रभावकारिता के लिए अपनी अनुशंसाओं के साथ दिनांक 22 सितंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट को, समिति की अनुशंसाओं सहित, मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) पर पब्लिक डोमेन में रखा गया है। समिति की प्रमुख अनुशंसाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- तीन वर्षों के पश्चात अधिनियम के सीएसआर उपबंध की समीक्षा करना उचित होगा।
- प्रशासनिक ओवरहेड लागत की सीमा सीएसआर व्यय के 5% से बढ़ाकर अधिकाधिक 10% तक की जाए।
- अधिनियम और नियमों के अधीन "निवल लाभ" शब्द की परिभाषा स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।
- धारा 135(1) में अथवा संगत नियम में आवश्यक संशोधन करने की दृष्टि से इस अधिनियम की धारा 135(1) में 'किसी वित्तीय वर्ष' संदर्भ की पुन: जांच की जाए।
- बोर्ड और सीएसआर समिति द्वारा अपने स्तर पर उनके अपने सीएसआर निगरानी का प्रबंधन किया जाए।
- कंपनियों की सीएसआर व्यय की गुणवत्ता और प्रभावोत्पादकता की निगरानी में बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।
- सीएसआर निधि में व्यय नहीं की गई बकाया राशि को अगले पांच वर्षों की अवधि में अग्रेनीत करने की अनुमति होनी चाहिए, जिसके पश्चात व्यय नहीं की गई बकाया अनुसूची-VII में सूचीबद्ध किसी एक निधि में अंतरित किया जाए।
- अधिनियम की अनुसूची-VII में एक व्यापक खंड शामिल किया जाए जिसमें यह सुझाव दिया जाए की सीएसआर कार्यकलाप वृहत्तर लोकहित में और किसी ऐसे कार्यकलाप के लिए चलाया जाए जिससे लोक उद्देश्य पूरा हो और/अथवा लोगों के कल्याण को बढ़ावा मिले, विशेषकर कमजोर वर्गों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(ग): कंपनी विधि समिति ने 01 फरवरी, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस समिति ने भी कुछ अनुशंसाओं पर विचार किया है और, तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में संशोधनों का प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा कानून के अधीन कंपनियों द्वारा सीएसआर के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिनांक 12 जनवरी, 2016 को एफएक्यू का एक सेट जारी किया गया है।

*****